दिनांक 04.07.2021
प्रेस विज्ञप्ति 04/2021

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद बस्ती/थाना लालगंज

- **25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट के 47 हजार 500 रूपये नगद**
- **01 अवैध पिस्टल 01 जीवित कारतूस बरामद**

दिनांक 03.07.2021 को थाना लालगंज पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर दबिला घाट के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त नीरज को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से लूट के 47 हजार 500 रूपये नगद, 01 अवैध पिस्टल 01 जीवित कारतूस बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है। जो थाना लालगंज पर पंजीकृत मु0अ0सं0 114/2021 धारा 392/397/411 भादवि में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना लालगंज पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–नीरज निवासी जमरांव महसो थाना लालगंज जनपद बस्ती।

बरामदगी

1–लूट के 47 हजार 500 रूपये नगद।

2–01 अवैध पिस्टल 01 जीवित कारतूस।

जनपद सीतापुर/थाना इमलिया सुलतानपुर

- **15–15 हजार रूपये के 03 पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 03.07.2021 को थाना इमलिया सुलतानपुर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर डल्लूपुर तिराहे के पास से 03 पुरस्कार घोषित अभियुक्त 1–रन्नू 2–कल्लू 3–चिरंजू को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं। जिसके विरूद्ध जनपद सीतापुर के विभिन्न थानो में आबकारी एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट के 03–03 अभियोग पंजीकृत हैं। गिरफ्तार अभियुक्त थाना इमलिया सुलतानपुर पर पंजीकृत गैंगेस्टर एक्ट के अभियोग में वांछित चल रहे थे, जिनकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 15–15 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना इमलिया सुलतानपुर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–रन्नू निवासी जगना थाना इमलिया जनपद सुलतानपुर।

2–कल्लू निवासी जगना थाना इमलिया जनपद सुलतानपुर।

3–चिरंजू निवासी जगना थाना इमलिया जनपद सुलतानपुर।

जनपद हाथरस/थाना हाथरस गेट

- **लूट की घटना का अनावरण**
- **पुलिस कार्यवाही में 03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट के सोने के आभूषण,**
- **लूट के 10 हजार रूपये नगद, 01 मोबाइल फोन**
- **02 अवैध तमंचा 315 बोर, 04 जीवित, 01 खोखा कारतूस**
- **घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल बरामद**

दिनांक 04.07.2021 को थाना हाथरस गेट व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर पुलिस कार्यवाही में 03 अभियुक्तों 1– हमवीर सिंह

2–नन्दकिशोर 3–भूपेन्द्र उर्फ भोला को गिरफ्तार कर लूट की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से लूट के सोने के आभूषण (15 लोंग, 25 बाली, 01 अंगूठी, 06 पैण्डल, 02 मंगलसूत्र), लूट के 10 हजार रूपये नगद, 01 मोबाइल फोन, 02 अवैध तमंचा 315 बोर, 04 जीवित, 01 खोखा कारतूस, घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल बरामद हुई।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त हमवीर शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद मथुरा, हाथरस के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, लूट, चोरी आदि के आधा दर्जन अभियोग पंजीकृत है। दिनांक 24.06.2021 को थाना हाथरस गेट क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना हाथरस गेट पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे, गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद आभूषण, रूपया आदि उक्त लूट की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना हाथरस गेट पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–हमवीर सिंह निवासी नगला उदय सिंह थाना बल्देव जनपद मथुरा।

2–नन्दकिशोर निवासी बेशना थाना इगलास जनपद अलीगढ़, हालपता शान्तिकुँज कालोनी थाना हाई–वे जनपद मथुरा।

3–भूपेन्द्र उर्फ भोला निवासी सुसावली थाना मुरसान जनपद हाथरस।

बरामदगी

1–लूट के सोने के आभूषण (15 लोंग, 25 बाली, 01 अंगूठी, 06 पैण्डल, 02 मंगलसूत्र)।

2–लूट के 10 हजार रूपये नगद।

3–लूट का 01 मोबाइल फोन।

4–02 अवैध तमंचा 315 बोर, 04 जीवित, 01 खोखा कारतूस।

5–घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल।

जनपद सहारनपुर/थाना मिर्जापुर

- **लूट की घटना का अनावरण**
- **पुलिस कार्यवाही में 03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट के 25 हजार रूपये नगद**
- **02 अवैध तमंचा विभिन्न बोर, 04 जीवित, 01 खोखा कारतूस बरामद**

दिनांक 03.07.2021 को थाना मिर्जापुर पुलिस टीम द्वारा सूचन के आधार पर खाली कोठी के पास से पुलिस कार्यवाही में 03 अभियुक्तों 1—कुलदीप 2—सुन्दर लाल 3—योगेश उर्फ सैन्टी को गिरफ्तार कर लूट की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से लूट के 25 हजार रूपये नगद, 02 अवैध तमंचा विभिन्न बोर, 04 जीवित, 01 खोखा कारतूस बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 26.06.2021 को थाना मिर्जापुर क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना मिर्जापुर पर मु0अ0सं0 149/2021 धारा 392/506 भादवि का अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे, गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रूपया उक्त लूट की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना मिर्जापुर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—कुलदीप निवासी कलाहटी थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर।

2—सुन्दर लाल निवासी इन्द्रपुर तालडा थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर।

3—योगेश उर्फ सैन्टी निवासी जाटोवाला थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर।

बरामदगी

1—लूट के 25 हजार रूपये नगद।

2—02 अवैध तमंचा विभिन्न बोर, 04 जीवित, 01 खोखा कारतूस।

<u>जनपद पीलीभीत/थाना अमरिया</u>

- **चोरी की घटना का अनावरण**
- **04 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 01 चार पहिया वाहन**
- **चोरी की 02 मोटर साइकिल, 01 मोबाइल फोन, बैट्री**
- **चोरी के 10 हजार रूपये नगद**
- **02 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित, 02 खोखा कारतूस आदि बरामद**

दिनांक 04.07.2021 को थाना अमरिया व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम हर्रायपुर के पास से 04 शातिर अभियुक्तों 1–सुमित कुमार 2–कोकी मियां 3–फारूख 4–मुजस्सिम को गिरफ्तार कर चोरी की कई घटनाओ का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 01 चार पहिया वाहन, चोरी की 02 मोटर साइकिल, 01 मोबाइल फोन, बैट्री, चोरी के 10 हजार रूपये नगद, 02 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित, 02 खोखा कारतूस आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी है, जिसमें अभियुक्त सुमित कुमार के विरूद्ध जनपद पीलीभीत व उत्तराखण्ड प्रान्त के विभिन्न थानो में हत्या, डकैती, लूट, चोरी, आर्म्स एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 18 अभियोग, अभियुक्त मुजस्सिम के विरूद्ध जनपद पीलीभीत व उत्तराखण्ड प्रान्त के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, डकैती, चोरी, आर्म्स एक्ट, धोखाधड़ी के 07 अभियोग एवं अभियुक्त कोकी मियां व अभियुक्त फारूख के विरूद्ध जनपद पीलीभीत के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, चोरी, आर्म्स एक्ट के 03–03 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना अमरिया पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–सुमित कुमार निवासी बकैनिया काले खां थाना बहेडी जनपद बरेली।

2–कोकी मियां निवासी मो0 बगिया बार्ड नं0–4 कस्बा व थाना भोजपुर जनपद मुरादाबद।

3–फारूख निवासी सरवरखेड़ा थाना कुण्डा जनपद ऊधमसिंह नगर उत्तराखण्ड।

4–मुजस्सिम निवासी मोहनगर थाना मिलक खानम जनपद रामपुर।

बरामदगी

1–चोरी की 01 चार पहिया वाहन।

2–चोरी की 02 मोटर साइकिल, 01 मोबाइल फोन, बैट्री।

3–चोरी के 10 हजार रूपये नगद।

4–02 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित, 02 खोखा कारतूस आदि।

जनपद सम्भल/थाना चन्दौसी

- **चोरी की घटना का अनावरण**
- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के 50 हजार रूपये नगद**
- **चोरी के चाँदी के आभूषण, कैमरा आदि बरामद**

दिनांक 04.07.2021 को थाना चन्दौसी पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर तहसील चौराहा के पास से 02 अभियुक्तों 1–राशिद 2–जावेद को गिरफ्तार कर चोरी की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी के 50 हजार रूपये नगद, चोरी के चाँदी के आभूषण, कैमरा आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 21.06.2021 को थाना चन्दौसी क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरो द्वारा चोरी की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना चन्दौसी पर मु0अ0सं0 318/2021 धारा 380 भादवि का अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रूपया, आभूषण, कैमरा आदि उक्त चोरी की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना चन्दौसी पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—राशिद निवासी मो0 कटरा थाना फिरोजाबाद दक्षिण जनपद फिरोजाबाद।

2—जावेद निवासी मो0 कोटला थाना फिरोजाबाद दक्षिण जनपद फिरोजाबाद।

बरामदगी

1—चोरी के 50 हजार रूपये नगद।

2—चोरी के चाँदी के आभूषण।

3—कैमरा आदि।

जनपद आजमगढ़/थाना सरायमीर

- **चोरी की घटना का अनावरण**
- **पुलिस कार्यवाही में 02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के 10 मोटर पम्प, 04 एम्पिलिफायर मशीन**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जीवित, 01 खोखा कारतूस आदि बरामद**

दिनांक 3/4.07.2021 की रात्रि थाना सरायमीर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर डेमरी मोड़ के पास से पुलिस कार्यवाही में 02 अभियुक्तों 1—गोविन्दा 2—प्रकाश उर्फ प्रसाद को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी

के 10 मोटर पम्प, 04 एम्पिलिफायर मशीन, 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जीवित, 01 खोखा कारतूस आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिनके विरूद्ध चोरी आदि के कई अभियोग पंजीकृत हैं। दिनांक 28.06.2021 को थाना सरायमीर क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरो द्वारा चोरी की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना सरायमीर पर मु0अ0सं0 94/2021 धारा 457/380 भादवि का अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहा थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद मोटरपम्प उक्त घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना सरायमीर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—गोविन्दा निवासी इब्राहिमपुर अम्बारी थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़, हालपता कैथौली थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़।

2—प्रकाश उर्फ प्रसाद निवासी कैथौली थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़।

बरामदगी

1—चोरी के 10 मोटर पम्प, 04 एम्पिलिफायर मशीन।

2—01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जीवित, 01 खोखा कारतूस आदि।

कमिश्नरेट लखनऊ/थाना विभूतिखण्ड

- **02 शातिर वाहन चोर गिरफ्तार**
- **चोरी की 10 मोटर साइकिल बरामद**

दिनांक 04.07.2021 को थाना विभूतिखण्ड पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर सब्जी मण्डी विराजखण्ड के पास से 02 शातिर वाहन चोर 1— अनिल 2— नैमिष को

गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 10 मोटर साइकिल बरामद हुई।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के वाहन चोर है। जिनके विरूद्ध कमिश्नरेट लखनऊ के विभिन्न थानो में चोरी, धोखाधड़ी आदि के 06–06 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना विभूतिखण्ड पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–अनिल निवासी सिरली थाना सिकरहरा जनपद जौनपुर, हालपता मो0 बड़ा बरहा थाना आलमबाग कमिश्नरेट लखनऊ।

2–नैमिष निवासी नगेखेड़ा थाना अतरौली जनपद हरदोई।

बरामदगी

1–चोरी की 10 मोटर साइकिल।

जनपद पीलीभीत/थाना पूरनपुर

- **10 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जीवित, 01 खोखा कारतूस बरामद**

दिनांक 03.07.2021 को थाना पूरनपुर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर पुरस्कार घोषित अभियुक्त कपिल को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जीवित, 01 खोखा कारतूस बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है। जिसके विरूद्ध जनपद पीलीभीत के विभिन्न थानो में हत्या आर्म्स एक्ट आदि के 04 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त थाना पूरनपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 411/2021 धारा 147/148/149/452/323/504/506/307/302 भादवि व 3(2)(5) एससी/एसटी एक्ट में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 10 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना पूरनपुर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1—कपिल निवासी पिपरिया जयभद्र थाना पूरनपुर जनपद पीलीभीत।

<u>बरामदगी</u>

1—01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जीवित, 01 खोखा कारतूस।

एसटीएफ— सरकारी/गैर सरकारी विभागों में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले गैंग का खुलासा, गैंग सरगना सहित 04 अभियुक्तों को एसटीएफ उ0प्र0 ने लखनऊ से किया गिरफ्तार।

दिनांक 03—07—2021 को एस0टी0एफ0, उ0प्र0 को सरकारी/गैर सरकारी विभागों में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले गैंग का खुलासा कर गैंग सरगना सहित 04 अभियुक्तों को लखनऊ से गिरफ्तार करने में उल्लेखऩीय सफलता प्राप्त हुई।

<u>गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरणः—</u>

1— मिथलेश राजभर पुत्र कैलाश राजभर नि0 व थाना भीमपुरा, बलिया।

2— महेश सिंह पुत्र स्व0 रघुनन्दन सिंह नि0 आनन्द नगर, थाना फरेन्दा, महराजगंज। हाल पता नेहरू वाल वाटिका के पास जेडी सक्सेना के मकान में अलीगंज, लखनऊ।

3— रितेश श्रीवास्तव पुत्र अवधेश शरण श्रीवास्तव नि0 सेवरही तमुही रोड, थाना सेवरही, कुशीनगर।

हला पता अर्जुनगंज, सरसवॉ, लखनऊ।

4— विपिन कुमार पुत्र सर्वेश कुमार नि0 रामसुमेरगंज, थाना माधवगंज, हरदोई हाल पता बेगरिया रोड, दुबग्गा, लखनऊ।

कुल बरामदगीः—

1— 05 अदद डाक विभाग के कूटरचित ज्वाइनिंग लेटर।

2— 07 अदद ग्रुप सी (रेलवे) कूटरचित ज्वाइनिंग लेटर।

3— 03 अदद ग्रुप डी (रेलवे) कूटरचित ज्वाइनिंग लेटर।

4— 02 अदद प्रोविजन प्रिमिएड ट्रेनिंग लेटर।

5— 02 अदद भारतीय सेना का कूटरचित ज्वाइनिंग लेटर।

6— 08 अदद एफसीआई का कूटरचित ज्वाइनिंग लेटर।

7— 02 अदद उत्तर प्रदेश पुलिस का कूटरचित ज्वाइनिंग लेटर।

8— 02 ड्यूटी स्लिप कूटरचित।

9— 07 अदद आधार कार्ड।

10—06 मोबाईल फोन।

11—03 अदद निर्वाचन पहचान पत्र।

12—04 अदद पैन कार्ड।

13—02 अदद ड्राइविंग लाइसेन्स।

14—03 अदद डेविट कार्ड।

15—01 अदद लैपटाप (एचपी)

16—01 अदद कलर प्रिन्टर।

17—01 अदद चेकबुक आन्ध्रा बैंक।

18— रू0 3600/— नगद।

गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक व समयः—

पर्यटन भवन के गेट नम्बर 03 के पास गोमतीनगर, लखनऊ दिनांक 03—07—2021 समय 18:50 बजे।

विगत कुछ दिनों से लखनऊ एवं इसके आस—पास के जनपदों में डाक विभाग, भारतीय सेना, एसएसबी, एफसीआई, रेलवे एवं एसबीआई में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले एक गिरोह के सक्रिय होने सूचना प्राप्त हो रही थी। इस सम्बन्ध में एसटीएफ उ0प्र0 की विभिन्न टीमों/फील्ड इकाईयों को अभिसूचना संकलन एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। जिसके क्रम में श्री अवनीश्वर चन्द्र श्रीवास्तव, पुलिस उपाधीक्षक, एसटीएफ मुख्यालय, लखनऊ के पर्यवेक्षण में एक टीम द्वारा अभिसूचना संकलन एवं छानबीन किया जा रहा था।

अभिसूचना संकलन के दौरान दिनांक 03—07—2021 को वि"वस्त सूत्रों के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि विभिन्न सरकारी/गैर सरकारी विभागों में भर्ती कराने के नाम पर ठगी करने वाले गैंग का सरगना महेश सिंह अपने गैंग के साथियों के साथ पर्यटन भवन के गेट नम्बर—03 के पास खड़ा है और कुछ लड़को को सरकारी विभागों में भर्ती के नाम पर बातचीत करने के लिये उन्हें बुलाया है। उक्त सूचना पर उपनिरीक्षक श्री पवन कुमार सिंह के नेतृत्व में एक टीम गठित कर रवाना की गयी, जो उक्त स्थान पर पहॅुचकर आवश्यक बल प्रयोग करते हुए उपरोक्त अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों से पूछताछ एवं इनसे प्राप्त कूटरचित अभिलेखों से पाया गया गया कि इनका एक संगठित गिरोह है और यह कई वर्षो से सक्रिय हैं। ये लोग इण्टरनेट पर सरकारी नौकरी की वेबसाइट चेक करते रहते थे, इसके उपरान्त इन लोगों द्वारा यह पता लगाया जाता था, कि किस—किस सरकारी विभाग एवं गैर सरकारी विभागों में भर्तियां निकली है। भर्तियों का विज्ञापन निकलने के उपरान्त इन लोगों द्वारा इच्छुक अभ्यथियों को भेजकर फार्म भरने के लिये कहा जाता था। अभ्यर्थियों द्वारा संबंधित विभाग के विज्ञापन के अनुसार फार्म भरा जाता था। इसके उपरान्त इन्हें भर्ती

करवा देने का झांसा देकर युवको से विभाग के अनुसार पैसे की मॉग करते थे और एडवान्स के रूप में कुछ पैसा मिलने के उपरान्त अभ्यर्थियों को पूर्व से तैयार किये गये फर्जी ज्वानिंग लेटर दे दिया जाता था। इन लोगों द्वारा यह भी बताया गया कि अब तक इन लोगों द्वारा लगभग 80—90 लोगों के साथ इस प्रकार से ठगी कर चुके हैं।

उपरोक्त गिरफ्तार अभियुक्तों के विरूद्ध पूर्व से जनपद लखनऊ के थाना गोमतीनगर में मु0अ0सं0 430/2021 धारा 419/420/467/468/471 भादवि के अभियोग पंजीकृत है। जिसमें इनको दाखिल किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है।

—————————